न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती

सत्र वाद संख्या–94/2023

राज्य बनाम हलीम खां उर्फ छोटकऊ आदि

दिनांक–03–06–2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र बी–37 अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं०–

सत्र परीक्षण की पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण हलीम खां उर्फ छोटकऊ , दलीफ खां, सलीमन उर्फ सलीमा की हाजिरी माफी जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत जो केवल आज के लिए स्वीकृत। प्रार्थना पत्र बी–37 पर विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल व वादी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी इस्माइल की ओर से प्रार्थना पत्र बी–37 अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० दिनांक–09–10–2024 को इस आशय से दिया गया है कि वादी उपरोक्त मुकदमें में प्रथम सूचक है। वादी ने घटना दिनांक–10–11–2022 के सम्बन्ध में दिनांक–12–11–2022 को मुकदमा अपराध संख्या–544/2022 थाना मल्हीपुर में अभियुक्तगण हलीम खां उर्फ छोटकऊ , दलीफ खां, सलीमन तथा साबरून पत्नी फिरोज व गुड़िया पत्नी कमरूद्दी के विरूद्ध दर्ज करायी थी। जिसमें विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से नाजायज साज करके केवल हलीम उर्फ छोटकऊ , दलीफ खां और सलीमन के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया तथा अभियुक्तगण साबरून व गुडिया को बचाने के उद्देश्य से उनके विरूद्ध अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर दिया। दिनांक–18–10–2023 को न्यायालय पर वादी मुकदमा व दिनांक–09–04–2024 को उसकी पत्नी मलूका का सशपथ बयान अंकित हुआ है। जिसमें वादी व वादी की पत्नी मलूका द्वारा अपने बयान में स्पष्ट रूप से हलीम खां उर्फ छोटकऊ , दलीफ खां, दलीफ खां की बीबी कमरूद्दीन की बीबी तथा फिरोज की बीबी का नाम घटना में सहभागी स्पष्ट रूप से बताया है। वादी की पुत्री सायमा को दहेज के लिए जान से मारने में तथा दहेज के लिए प्रताड़ित करने में एफ०आई०आर० में अंकित अभियुक्तगण 1 ता 5 का पूर्णरूपेण हाथ है। उपरोक्त सभी अभियुक्तगण पूर्णरूपेण अपराध संख्या–544/2022 के लिए दोषी है। ऐसी स्थिति में एफ०आई०आर० में अंकित है। किन्तु आरोप पत्र में छूटे हुये अभियुक्तगण को भी वादी व वादी की पत्नी के बयान के आधार पर तलब करके उन्हें भी दण्डित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ इस्माइल ने अपना शपथ पत्र भी दिया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है। जिसमें कथन किया गया है कि वादी द्वारा मात्र अभियुक्त के परिवार वालों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से अवैध रूप से धन उगाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। **साजरून पत्नी फिरोज, गुड़िया पत्नी कमरूद्दीन अभियुक्तगण से बंटवारा करके काफी दिनों से अलग रह रही है** तथा तथाकथित घटना से साजरून व

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2025.06.03 16:07:11 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court
Shravasti

गुड़िया का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वादी द्वारा सोजी समझी रणनीति के तहत मुकदमें को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मृतका न स्वंय आत्महत्या की है और उसके शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं है। **तथाकथित घटना के समय साजरून अपने मायके में थी और वहीं पर उसने बच्चों को जन्म दिया था तथा गुड़िया भी साजरून से मिलने उसके मायके गयी थी**। साजरून व गुड़िया का घटना से कोई वास्ता सरोकार न होने पर भी वादी द्वारा मात्र कुत्सित भावना के कारण फर्जी तरीके से मुकदमें में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाह झोधू खां, हफीज खां, शहजाद खां, जाकिर, गुड्डू अहमद, मुंशरीफ, असगर अली, राम पारस, इद्रीश अली का बयान अंकित किया गया और सभी साक्षियों द्वारा साजरून व गुड़िया के निर्दोष होने का कथन किया गया है तथा गुड़िया के परिवार का राशन कार्ड भी विवेचक द्वारा दौरान विवेचना लिया गया है। वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के पेज–2 पर उपर 6 वी लाइन में "घटना में लड़के के दोनों पतोह हलीम, दलीफ, दलीफ की बीबी, कमरूद्दीन की बीबी और फिरोज की बीबी मेरी लड़की की जेठानी लगती है इन सभी लोगों सहभागिता घटना में थी।" का कथन किया गया है किन्तु किस लड़के की दोनों पतोह की बात की गयी है अपनी मुख्य परीक्षा में वादी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है ओर न ही कोई विशिष्ट आरोप ही गुड़िया व साजरून के विरूद्ध लगाया गया है। वादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज 2 पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "इस घटना को छोड़कर मेरा कभी दलीफ व उनके परिवार वालों से कोई वाद विवाद नहीं हुआ है।" जिससे यह स्पष्ट है कि एफ०आई०आर० में दहेज मांगने की जो बात लिखायी गयी है वह पूर्णतया असत्य है। **वादी/वादी की पत्नी मलूका ने** भी अपनी मुख्य परीक्षा में भी गुड़िया व साजरून के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–2 पर बताया गया है कि "इस मुकदमें के पहले अभियुक्तगण के विरूद्ध मैंने कोई प्रार्थना पत्र थाने पर नहीं दिया है" तथा **पेज–3** में **स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "तीनों भाइयों का अलग–अलग मकान है**" तथा प्रतिपरीक्षा के पेज–4 पर मलूका द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि " घटना वाले दिन मैं अपने घर पर थी मैं सारा दिन अपने घर पर थी" तथा अपने प्रतिपरीक्षा के पेज–5 में मुख्य परीक्षा में बतायी गयी बात "चोरी चुपके फोन भी करके मेरी लड़की बताती थी" का भी खण्डन किया है और स्पष्ट रूप से अपने प्रतिपरीक्षा में बताया है कि " मेरी लड़की ने कभी चोरी चुपके से बात नहीं की और न ही मैंने बयान में यह कभी बताया कि मेरी लड़की फोन से चोरी चुपके से बात करती थी।" जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वादी की पत्नी ने न्यायालय पर मिथ्या साक्ष्य दिया है और उसका साक्ष्य ग्राह्य नहीं है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–6 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि " यह कहना सही है कि मैंने अभियुक्तगण से 5 लाख रूपया लेना चाहती थी।" जिससे भी स्पष्ट है कि वादी व उसकी पतनी मात्र अभियुक्तगण के परिवार वालों के उपर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके तथा दबाव बनाकर अवैध रूप से धन वसूली करना चाह रहे है और मात्र इसी उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र

दिनांकित–09–10–2024 अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल व वादी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि वादी इस्माइल पुत्र सूबेदार खां ने थाना प्रभारी निरीक्षक मल्हीपुर को दिनांक–12–11–2022 को लिखित तहरीर दिया कि उसने अपनी बड़ी लड़की मृतका का निकाह दिनांक–09–03–2022 को विपक्षी हलीम खां उर्फ छोटकऊ के साथ किया था। वावक्त निकाह में उसकी लड़की मृतका विदा होकर अपने ससुराल गयी। जहां विपक्षी हलीम खां उर्फ छोटकऊ व उसका पिता दलीफ खां व सास सलीमन पत्नी दलीफ खां व दो जेठानी सायरून पत्नी फिरोज व गुड़िया पत्नी कमरूद्दीन ने मिलकर अतिरिक्त दहेज में एक अपाची मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये नगद की मांग करते थे। मांग न पूरी होने के कारण सभी उपरोक्त विपक्षीगण गन्दी–गन्दी गाली व लाठी डण्डे से मारते पीटते थे तथा उसकी लड़की को अपने मायके में फोन से किसी से बात भी नहीं करने देते थे तथा लगातार जान से मार देने की धमकी भी देते थे। दिनांक–10–11–2022 के सुबह 8:00 बजे उसके रिश्तेदार पप्पू ने फोन करके बताया कि फौरन अपनी लड़की के ससुराल पहुँचो कुछ बुरा हो गया है। सुनकर वादी तथा वादी की पत्नी अपनी लड़की के ससुराल पहुँचे तो अपनी लड़की के कमरे में जाकर देखा तो उसकी लड़की अपने कमरे में लटक रही थी और जीवित नहीं थी। उसके सामने ही पुलिस ने लास उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश मिलने क बाद लड़की की मिट्टी करने के बाद सूचना देने आया हूँ कि उसकी लड़की को विपक्षीगण ने मारकर लटका दिया है।

वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–मल्हीपुर में अभियुक्तगण हलीम खां उर्फ छोटकऊ , दलीफ खां, सलीमन, सायरून व गुड़िया के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–544/2022 धारा–498ए,304बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सायरून व गुड़िया की नामजदगी गलत पायी और अभियुक्तगण हलीम खां उर्फ छोटकऊ , दलीफ खां, सलीमन उर्फ सलीमा के विरूद्ध धारा–498ए,304 बी भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

धारा–319 दं०प्र०सं० के स्तर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य भी विचार में लिया जाना अपेक्षित है। धारा–319 दं०प्र०सं० के सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या–1750/2008 निर्णय दिनांकित–10–01–2014** के मामले में विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश जारी किये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि “The difference in the degree of satisfaction for summoning

the original accused and a subsequent accused is on account of the fact that the trial may have already commenced against the original accused and it is in the course of against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial–therefore the degree of satisfaction for summoning the accused (original and subsequent) has to be different."

प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू०–1 के रूप में वादी ने मुख्य परीक्षा में प्रारम्भतः यह बताया है कि हलीम खां, दलीफ खां और दलीफ की पत्नी दहेज में अपाची मोटरसाइकिल और एक लाख रूपये की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर उसकी लड़की को मारते पीटते थे। चोरी चुपके उसकी लड़की मायके फोन करती थी और बताती थी कि ससुराल वाले उसे तंग करते हैं। इस प्रकार न्यायालय में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण द्वारा ही दहेज की प्रताड़ना का कथन साक्षी ने प्रारम्भिक रूप से किया है। मुख्य परीक्षा की अन्तिम पंक्ति में वादी ने प्रस्तावित अभियुक्तगण के सम्बन्ध में मात्र यह कहा है कि कमरूद्दीन की बीबी और फिरोज की बीबी की सहभागिता घटना में थी। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त दोनों के द्वारा अपराध में किस प्रकार की सहभागिता की गयी और उनकी क्या भूमिका थी। जिरह में वादी ने बताया है कि अभियुक्त के पास कितने घर व कितनी जमीन है उसे नहीं पता है। उसने कभी पता करने की कोशिश नहीं कि अभियुक्त के पास कितने घर व कितनी जमीन हैं। इससे यह परीलक्षित है कि वादी को अभियुक्तगण के रहन सहन के बावत कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

पी०डब्लू०–2 वादी की पत्नी है जिसने प्रस्तावित अभियुक्तगण के बावत मुख्य परीक्षा में बताया है कि जब से उसकी बेटी मृतका अपनी ससुराल गयी तब से विपक्षीगण पति हलीम खां उर्फ छोटकऊ , ससुर दलीफ खां, सास हलीमा, कमरूद्दीन की पत्नी व फिरोज की पत्नी जो उसकी लड़की की जेठानी लगती है, दहेज में अपाची मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये की मांग करते थे। जिसके लिए उसकी बेटी को तरह–तरह से प्रताड़ना देते थे और मारते पीटते थे। जिरह में साक्षी ने बताया है कि घटना से पहले वह अपनी बेटी के ससुराल दो बार गयी है। वह पाँचों मुल्जिमान के नाम जानती है। हलीम के पास तीन मकान है। पश्चिम बगल हलीम का मकान, बीच में गुड़िया का मकान है, उसके बाद सायरून का मकान है। तीनों भाईयों का अलग–अलग मकान है। इस प्रकार साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण का मकान मृतका के मकान से अलग–अलग है। इससे आपत्ति में किये गये इस कथन की पुष्टि होती है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण बटवारा करके अलग–अलग रहते हैं।

केस डायरी में भी अंकित स्वतंत्र गवाहान जाकिर पुत्र अहमद अली, गुड्डू पुत्र अहमद अली, मुंशरीफ पुत्र कमास अली, असगर अली पुत्र इद्रीश अली, राम पारस पुत्र लाखन, इद्रीश अली पुत्र सरदार ने भी घटना से करीब 09 साल पहले से अभियुक्त एवं

उसके भाईयों का बटवारा होना बताया है। जिसकी पुष्टि स्वयं वादी की पत्नी के बयान से होती है। वादी एवं उसकी पत्नी ने कोई विशिष्ट भूमिका भी प्रस्तावित अभियुक्तगण की घटना में नहीं बतायी है। मात्र सामान्य कथन वादी की पत्नी ने अन्य अभियुक्तगण के साथ दहेज मांगने व मारने पीटने के बावत किये हैं। यह कथन इसलिए विश्वसनीय नहीं है क्योंकि बटवारा हो जाने के उपरान्त सामान्यतः कोई भी महिला अपनी जेठानी–देवरानी के घरेलू मामलों से ताल्लूक रखना और दहेज की मांग करने जैसा कार्य भारतीय समाज में नहीं करती है। इस प्रकार की दहेज की मांग से कोई भी प्रत्यक्ष सरोकार जेठानी–देवरानी का नहीं होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था प्रीति गुप्ता बनाम झारखण्ड राज्य ए०आई०आर० 2010 एस०सी० 3363 में यह अवधारित किया गया है कि दहेज से सम्बन्धित मामलों में पति के किसी रिश्तेदार के विरूद्ध विशिष्ट व विश्वसनीय आपेक्ष नहीं है तो ऐसे मामले में न्यायालय को ऐसे रिश्तेदारों को तलब करने में अत्यन्त सर्तकता बरतनी चाहिए क्योंकि दहेज से सम्बन्धित मामले बढ़ते जा रहे है जिसमें सामान्य आपेक्ष के आधार पर समस्त ससुरालीजन के विरूद्ध मुकदमा लिखाया जा रहा है।

Harshendra Kumar D. Vs. Rebatilata Koley, 2011 **CrLJ** 1626 (**SC**), के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि "Criminal prosecution is a serious matter. It affects the liberty of a person. No greater damage can be done to the reputation of a person than dragging him in a criminal case."

उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तावित अभियुक्तगण गुड़िया व सायरून को विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–37 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–18–06–2025 को पेश हो। आरोप पत्र से साक्षी संख्या–3 सम्मन हो।

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती।